ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 7, July 2018

महिला सशक्तिकरण: दशा और दिशा

Dr. Seema Gupta

Associate Professor, History, Government Arts College, Kota, Rajasthan, India

सार

भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को लेकर दोहरे मापदण्ड हैं। एक तरफ तो उन्हें पूजनीया, सरस्वती, लक्ष्मी जैसी उपमाएॅ देता है तो दूसरी तरफ उनका शोषण करने में भी पीछे नहीं रहता है। भारत में महिला अस्मिता और उसकी सुरक्षा, अधिकारों और सम्मान को लेकर आन्दोलन हुए हैं, परन्तु उन्हें पुरूष समाज की ओर से जितना समर्थन मिलना चाहिए नहीं मिला। घर परिवार और समाज में वाजिब सम्मान के लिए उसे लम्बा संघर्ष करना पड़ता है। बाहर एवं घर परिवार में हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। नये आर्थिक पर्यावरण के उद्भव, नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक शिक्षा पद्धति और चिन्तन शैली के प्रसार आदि के फलस्वरूप भारत में महिला सशक्तिकरण का आरंभ हुआ । महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। महिला को ही सृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिलाएॅ समाज का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है क्योंकि विश्व की आधी जनसंख्या तकरीबन इन्हीं की है। महिलाएॅ आज भी पूरी तरह सशक्त नहीं हुई हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आए दिन होने वाली तमाम घटनाएॅ हैं, जिसमें वे तरह-तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं। बाहर तो वे हिंसा का शिकार होती है साथ ही अपने परिवार के पु़ुरुष और दूसरी महिला सदस्यो के द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बाहर एवं घर परिवार मे हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है।(1) महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, महिलाओं में आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता व आत्मविश्वास जागृत करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति सजग होने की है। यदि कोई महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है, तो उसका आत्मसम्मान अवश्य ऊॅचा होगा और वे देश कि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहले कामकाजी यानि नौकरी करने वाली महिलाओ के लिए 8 मार्च मनाया जाता था। अब यह सभी महिलाओ के लिए मनाया जाता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा की 8 मार्च 1914 मे, लंदन मे ट्राफगलर स्केयर पर महिलाओ के लिए भी मताधिकार माँगने के कारण, सिलविया पनखुस्त नामक महिला को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह इस विषय पर भाषण दे रही थी। यह वही यूरोपीय देश है, जिसकी हम प्रसंशा करते नहीं अघाते। खैर वह आगे बढ़े और हम लगातार इस संदर्भ मे पीछे की ओर जाते रहे। जिसके अनेक कारण रहे हैं।हमारे पूर्वजों ने महिला को बहुत ऊँचा स्थान दिया था। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी, शक्ति चाहिये तो दुर्गा और अगर बुद्धि, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती। तीनों महत्वपूर्ण स्थानो पर महिला शक्ति ही विराजमान है, उन्ही की आराधना करनी पड़ेगी, उन्ही की शरण मे जाना पड़ेगा।[1,2] अर्थात उन्होने महिला की ताकत को पहचाना था। यह दुर्भाग्य है की आज हम पृर्ष प्रधान समाज मे जीते है। क्योंकि हम सिर्फ मंदिर मे ही इनकी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आराधना करते है, घर मे नहीं, अपने परिवार मे नहीं। एक बार बाबा रामदेव ने एक शिविर मे बाड़ी अच्छी बात कही थी “मंदिर मे जा कर तो राधे – राधे करते हो, पर घर की राधा का कोई ख्याल नहीं रखते, इनका सम्मान करो”।

अगर हम आदि काल से प्रारंभ करें (मेरे विचार से जब शिव, विष्णु, ब्रहमा आदि देवता होते थे या कहलाए जाते थे) तो उस समय भी इनके समकक्ष अनेक देवीया भी थी। अगर बात वीरता की हो तो दुर्गा या काली का अवतार देवताओं पर भी भारी पड़ता है यह हमारे ही पुराणो के हिसाब से है। जब पुरुष देवता महिषासुर से न जीत सके तो दुर्गा की ही सहायता लेनी पड़ी। फिर रामायण काल मे आयें तो दशरथ की रानी कैकई राजा के साथ युद्ध मे जाती थी और राजा का रथ वही चलाती थी उन्हे इस कुशल सारथी के रूप मे वही स्थान प्राप्त था जैसा की श्री कृष्ण को, महाभारत काल मे था। रानी कैकई की चर्चा आज सिर्फ इसलिए होती है की उन्होने राम को वनवास दिया था। रानी मंदोदरी की विद्वता की भी चर्चा कम ही होती है। पर देखिए की रावण जैसा शक्तिशाली, विद्वान भी मंदोदरी की आज्ञा अनेक अवसरो पर मानता था। महाभारत काल मे द्रोपदी न केवल एक सुंदर स्त्री थी बल्कि वह बहुत ही विद्वान भी थी, जिसकी चर्चा अधिकान्शत: नहीं होती। आगे बढ़ने पर हमे गार्गी और विद्योत्तमा जैसी विदुषियों के वर्णन सुनने को मिलते हैं। अगर कहा जाय की विद्योत्तमा के समय ही पहली बार पुरुष समय मे पहली बार एक महिला के प्रति षडयंत्र सुनने को

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 7, July 2018

मिला तो मेरे विचार मे अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले कोई इस प्रकार का षडयंत्र सुनाई नहीं देता। अब यह विद्योत्तमा का घमंड तोड़ने के लिए था या अपनी द्वेष भावना के कारण पर यह "हिटिंग बिलो द बेल्ट" तो था ही।[3,4]

भारत की अनेक महिलाओ ने अपनी वीरता का परिचय दिया है, महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी महिला सेना ने 1857 मे अपनी वीरता का जौहर दिखाया था। उधर सामाजिक क्षेत्र मे सावित्रीबाई फुले, भक्ति मे मीरा, के अलावा लेखन चिंतन मे भी भारतीय महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है और आज भी भारतीय महिलाएँ हर क्षेत्र मे नए आयाम स्थापित कर रही है। पर महिलाओ के प्रति अत्याचारों मे लगातार वृद्धि हो रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता से नारी नरक का द्वार है तक हम कब, कैसे और क्यों पहुँचे यह विचारणीय प्रश्न है। कब यह प्रथा प्रारंभ हुई की पति के मरने के बाद पत्नी को भी जिंदा जला दो, इतने वीभत्स हम कैसे हो गए? एक विधवा महिला को उसका सिर मूँड़कर वृंदावन छोड़ आना यह परंपरा क्यो शुरू हुई और इन सबका तत्कालीन समाज ने विरोध क्यों नहीं किया? दहेज के लिए बहुओ को जिंदा जला देने का वीभत्स अपराध कब और कैसे शुरू हुआ? क्योंकि पुराणो मे इसका कहीं जिक्र भी हो यह नहीं पढ़ा। यह किसी धर्म ग्रंथ मे नहीं लिखा है की ऐसा किया जाना चाहिए। फिर किसने यह मौखिक परंपरा बनाई? नारी पूजनीय से भोगया क्यों समझी जाने लगी और कब से समझी जाने लगी? प्रश्न अनेक है, पर सही उत्तर नहीं है।[5,6]

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मदर्स डे और वेलेंटाइन डे की तरह सिर्फ एक दिन की बात बनकर न रह जाये, यह एक बड़ा ख़तरा भी है। उधर महिला सशक्तिकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर भी आज यह माँग भी उठ रही है की उन्हे अंग प्रदर्शन की आज़ादी मिलनी चाहिए। यह भी सोचना होगा की जो लोग एक ओर तो नारी को भोग्या न समझने की वकालत करते है वही लोग उन्हे नग्नता को ओर धकेलना चाहते है, भोग की वस्तु बनाना चाहते हैं। नारी को इज्जत कपड़े उतारने से नहीं मिलेगी, अपने काम से मिलेगी, अपनी शिक्षा से मिलेगी, अपने बल कौशल से मिलेगी जिसकी उसमे कोई कमी नहीं है। नारी पहले भी सशक्त थी, है और रहेगी, बस दिशा ठीक होनी चाहिए।[7,8]

विचार-विमर्श

कहा जाता है कि एक महिला सशक्त होती है तो वह देश के भविष्य को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। सशक्त होने के कारण ही आज की महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ व्यावसायिक क्षेत्रों में भी बाजी मार रही हैं।महिलाओं ने यह बात साबित कर दी है कि वे हर वो काम कर सकती हैं जिसे कभी पुरुषों के योग्य समझा जाता था। अपनी मेहनत के बदौलत उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनमें पुरुषों से बेहतर निर्णय लेने की काबिलियत है। ये सब वे शिक्षा और आत्म-निर्भर के बदौलत ही वे कर पा रही हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए हम इस बात को नकार नहीं सकते कि हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा को लेकर स्थिति में सुधार भले ही आया है, लेकिन उनकी साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में अभी भी कम है। तमाम संघर्ष करने के बाद भी देश की सिर्फ 27 फीसदी महिला आबादी ही कामकाजी है।इसमें से भी गांव की ज्यादातर महिलाएं कृषि और असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। क्या शेष महिलाएं काम करने के लिए सक्षम नहीं हैं? क्या उन्हें आज समानता और स्वतंत्रता की राहें हासिल हो पाई हैं. एक तरफ शहरों और महानगरों की महिलाएं आर्थिक रुप से स्वतंत्र, शिक्षित हो रही हैं, वे कई क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर काबिज है। जिसका परिणाम यह है कि उनके विचारों में परिवर्तन देखने को मिला हैं। आज वे अपने बल पर दुनिया जीत रही हैं।अब वे किसी भी हाल में पुरुषों के दमन को नहीं सहना चाहती, हाँ इस बात को बिल्कुल नही नकारा जा सकता कि ऐसी महिलाओं की संख्या अभी कम है[9,10] लेकिन आज ये महिलाएं सम्मानजनक स्थिति में अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। वहीं गांव में आज भी महिलाओं के अस्तित्व में काफी कम बदलाव आया है। क्योंकि आज भी वे अपने अधिकारों को लेकर वंचित हैं, इसलिए वे इन अधिकारों का महत्व नहीं समझ पाती और जिस स्थिति में वे जी रही है उसे ही अपनी ज़िंदगी मान लेती हैं। उनकी इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण यही है कि महिलाओं की साक्षरता दर शहरों की तुलना में गांवों में बेहद कम है।इसलिए महिला सशक्तिकरण केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सिमटकर रह गया है। जरूरत है कि शिक्षा की बदौलत ग्रामीण महिलाओं को काबिल बनाया जाए जिससे उनकी सोच में बदलाव आए, और वे उन परंपराओं और मर्यादाओं से बाहर निकले, जिससे वे एक छोटे से दायरे में बंधी हुई हैं।[11]आज महिला सशक्तीकरण को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जानी काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शिक्षा से ही उनकी स्वतंत्रता, साहस और आत्मनिर्भरता की नींव मजबूत होगी। शिक्षा और ज्ञान न होने के कारण अक्सर महिलाओं का किसी न किसी रूप में शोषण सहना पड़ता है।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 7, July 2018

इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि हम भले ही खुद को आधुनिक मानने लगे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी आधुनिकता सिर्फ व्यवहार और पहनावे तक ही सीमित है, हमारे विचार अभी भी पिछड़े हुए हैं। महिला हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी में हर किरदार बखूबी से निभाती आई हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे का समझा जाता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है,और महिलाओं को सम्मान देने की बात की जाती है जिन पर विचार करने की जरूरत सिर्फ भारत में ही नही बल्कि पूरे विश्व में है। भले ही संविधान में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आज भी उन्हें उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम आंका जाता है। महिलाओं को उनकी निजी स्वतंत्रता देना और उनको खुद ही अपने फैसले लेने का अधिकार देना महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण के बिना महिलाओं को वह अधिकार कभी नही मिल सकता जिसकी वे हमेशा से ही हक़दार रही हैं।[12,13]

जब तक परिवार और समाज महिलाओं को लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक महिला सशक्तिकरण की बातें करना एक कल्पना के ही समान है। देश का विकास तब तक मुश्किल है, जब तक वे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में वहां की महिलाएं सशक्त बन कर न उभरे।
आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि – ग्रंथों में नारी के महत्त्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:" अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है।
लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती हैं।[14,15]
राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्त्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरुकता लाने के लिये मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरुरत है। भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरुरी है, जैसे – दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अनपढ़ो की संख्या में महिलाएँ सबसे अव्वल है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें।[16,17]

परिणाम

स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित-परिष्कृति कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सु-अवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है।
दूसरे शब्दों में – महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकंक्षाओं को पूरा कर सके।
आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।
(i) आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नही है।[18,19]
(ii) शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.6 प्रतिशत ही है।
(iii) भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा अधिक रोजगारशील है, आकड़ो के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएँ

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 7, July 2018

मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती है।
(iv) भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा 20 प्रतिशत कम भुगतान दिया जाता है। (v) हमारा देश काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते है, जब हम लैंगिग असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सके।
(vi) भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी केवल महिलाओं की है मतलब, पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरुरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पायेगा।[20,21]
(vii) महिला सशक्तिकरण की जरुरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुषप्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वार कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है।
(viii) भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिये माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रुप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है लेकिन आज केवल यह एक ढोंग मात्र रह गया है।
(ix) पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार (काम करने की आजादी, शिक्षा का अधिकार आदि) को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।
(x) पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिये सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। हालाँकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिये महिलाओं सहित सभी का लगातार सहयोग की जरुरत है।
(xi) आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज्यादा जागरुक है जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयं-सेवी समूह और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे है। (xii) महिलाएँ ज्यादा खुले दिमाग की होती है और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिये सामाजिक बंधनों को तोड़ रही है। हालाँकि अपराध इसके साथ-साथ चल रहा है।भारतीय समाज एक ऐसा समाज है, जिसमें कई तरह के रिवाज, मान्यताएँ और परम्पराएँ शामिल हैं। इनमें से कुछ पुरानी मान्यताएँ और परम्पराएँ ऐसी भी हैं जो भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती हैं। उन्हीं बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं –

(i) पुरानी और रुढ़ीवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नही होती है।
(ii) पुरानी और रुढ़ीवादी विचारधाराओं के वातावरण में रहने के कारण महिलाएँ खुद को पुरुषों से कम समझने लगती हैं और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती हैं।
(iii) कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। नीजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, साफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
(iv) समाज में पुरुष प्रधनता के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न होती है। पिछले कुछ समय में कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़नों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है और पिछले कुछ दशकों में लगभग 170 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है।
(v) भारत में अभी भी कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ लैंगिग स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। कई सारे क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की भी इजाजत नही होती है। इसके साथ ही उन्हें आजादीपूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आजादी नही होती है और उन्हें सदैव हर कार्य में पुरुषों के अपेक्षा कम ही माना जाता है।
(vi) भारत में महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है और असंगठित क्षेत्रो में यह समस्या और भी ज्यादा दयनीय है, खासतौर से दिहाड़ी मजदूरी वाले जगहों पर तो यह सबसे बदतर है।[22,23]
(vii) समान कार्य को समान समय तक करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है और इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य के शक्ति असमानता को प्रदर्शित करते है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के तरह समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद पुरुषों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है।
(viii) महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएँ भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधाएँ है। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले वह काफी पीछे हैं।
(ix) भारत में महिला शिक्षा दर 64.6 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की शिक्षा दर 80.9 प्रतिशत है। काफी सारी ग्रामीण लड़कियाँ जो

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 7, July 2018

स्कूल जाती भी हैं, उनकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाती है और वह दसवीं कक्षा भी नही पास कर पाती हैं। (x) हालांकि पिछलें कुछ दशकों सरकार द्वारा लिए गए प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति को काफी हद तक कम कर दिया गया है लेकिन 2017 में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट द्वारा पता चलता है, कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जल्द शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रुप से व्यस्क नही हो पाती हैं।
(xi) भारतीय महिलाओं के विरुद्ध कई सारे घरेलू हिंसाओं के साथ दहेज, हॉनर किलिंग और तस्करी जैसे गंभीर अपराध देखने को मिलते हैं। हालांकि यह काफी अजीब है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के अपेक्षा अपराधिक हमलों की अधिक शिकार होती हैं।
(xii) कामकाजी महिलाएँ भी देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नही करती है। सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और पुरुषों के तरह वह भी बिना भय के स्वच्छंद रुप से कही भी आ जा सकें। (xiii) कन्या भ्रूणहत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात, भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कन्या भ्रूणहत्या का अर्थ लिंग के आधार पर होने वाली भ्रूण हत्या से है, जिसके अंतर्गत कन्या भ्रूण का पता चलने पर बिना माँ के सहमति के ही गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों में स्त्री और पुरुष लिंगानुपात में काफी ज्यादे अंतर आ गया है। हमारे महिला सशक्तिकरण के यह दावे तब तक नही पूरे होंगे, जब तक हम कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को मिटा नहीं पाएँगे।[24,25]

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इनमें से कई सारी योजनाएँ रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से सम्बंधित होती हैं। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं के परिस्थिति को देखते हुए किया गया है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएँ मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलायी जाने वाली योजना) आदि हैं।
महिला एंव बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ इस आशा के साथ चलाई जा रही है कि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की ही तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा-

1) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना –
यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अंतर्गत लड़कियों के बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति लड़की एक बोझ है की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

2) महिला हेल्पलाइन योजना –
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है, महिलाएँ अपने विरुद्ध होने वाली किसी तरह की भी हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नंबर पर कर सकती हैं। इस योजना के तरत पूरे देश भर में 181 नंबर को डायल करके महिलाएँ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।[26]

3) उज्जवला योजना –
यह योजना महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता है।

4) सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप) –
स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वह स्वंय का रोजगार शुरु कर सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कि कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है।

5) महिला शक्ति केंद्र –
यह योजना समुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत छात्रों और पेशेवर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयंसेवक ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते है।

6) पंचायाती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण –

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 7, July 2018

2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में 50 फीसदी महिला आरक्षण की घोषणा की, सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया। जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएँ ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई।

संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास किए कुछ अधिनियम (Laws made by the Parliament favouring women empowerment)

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं। वे अधिनियम निम्नलिखित हैं –

(i) अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
(ii) दहेज रोक अधिनियम 1961
(iii) एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976
(iv) मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987
(v) लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994
(vi) बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006
(vii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013

महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका – (Role of women in the nation's progress) बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़-लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती हैं। अब वह चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।[23,24]

भारत में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अन्दर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसी ही एक मिसाल बनी सहारनपुर की अतिया साबरी। अतिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला हैं, जिन्होंने तीन तलाक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया।

तेजाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वर्षा जवलगेकर के भी कदम रोकने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। हमारे देश में ऐसे कई उदहारण है जो महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन रही है।

आज देश में नारी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज देश की महिलाएँ जागरूक हो चुकी हैं। आज की महिला ने उस सोच को बदल दिया है कि वह घर और परिवार की ही जिम्मदारी को बेहतर निभा सकती है।

आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिला कर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाएँ अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं।

महिला सशक्तिकरण के लाभ – Advantages of women empowerment

महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज में नारी को वह स्थान नहीं मिल सकता, जिसकी वह हमेशा से हकदार रही है। महिला सशक्तिकरण के बिना वह सदियों पुरानी परम्पराओं और दुष्टताओं से लोहा नहीं ले सकती। बन्धनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती। स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में वह इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसलों पर आधिकार पा सके।

महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए।

(i) महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया है।
(ii) महिलाएँ अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं।
(iii) महिलाएँ अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं।
(iv) पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं, उनके हक भी उन्हें दे रहें हैं।
(v) पुरुष अब महिलाओं के फैसलों की इज्जत करने लगे हैं। कहा भी जाता है कि – हक माँगने से नही मिलता छीनना पड़ता है और औरतों ने अपने हक अपनी काबिलियत से और एक जुट होकर मर्दों से हासिल कर लिए हैं।[21,22]

महिला अधिकारों और समानता का अवसर पाने में महिला सशक्तिकरण ही अहम भूमिका निभा सकती है। क्योंकि स्त्री सशक्तिकरण महिलाओं को सिर्फ गुजारे-भत्ते के लिए ही तैयार नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने अंदर नारी चेतना को जगाने और सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति पाने का माहौल भी तैयारी करती है।

जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 7, July 2018

में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तामक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाए।

भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हो, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति उसके महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है।[25]

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की सदी है। महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जाग्रत और सक्रीय हो चुकी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है "नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी।" वर्तमान में नारी ने रुढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।[26]

संदर्भ

1. "Women's Empowerment" (PDF). मूल (PDF) से 12 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
2. ↑ "Women's Empowerment". मूल से 10 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
3. ↑ "Definition: Women Empowerment". मूल से 25 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
4. "Feminism | Definition, History, Types, Waves, Examples, & Facts | Britannica". www.britannica.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2017-11-25.
5. ↑ Gamble, Sarah (2001). "The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism".
6. ↑ Zajko, Vanda; Leonard, Miriam (2006). Laughing with Medusa: classical myth and feminist thought. Oxford: Oxford University Press. पृ॰ 445. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-19-927438-3.
7. ↑ Howe, Mica; Aguiar, Sarah Appleton (2001). He said, she says: an RSVP to the male text. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press. पृ॰ 292. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8386-3915-3.
8. ↑ Showalter, Elaine (1979). "Towards a Feminist Poetics". प्रकाशित Jacobus, M. (संपा॰). Women Writing about Women. Croom Helm. पपृ॰ 25–36. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-85664-745-1.
9. ↑ E.g., Owens, Lisa Lucile (2003). "Coerced Parenthood as Family Policy: Feminism, the Moral Agency of Women, and Men's 'Right to Choose'". Alabama Civil Rights & Civil Liberties Law Review. 5: 1. SSRN 2439294.
10. ↑ Zucker, Alyssa N. (2004). "Disavowing Social Identities: What It Means when Women Say, 'I'm Not a Feminist, but ...'". Psychology of Women Quarterly. 28 (4): 423–35. डीओआइ:10.1111/j.1471-6402.2004.00159.x.
11. ↑ Burn, Shawn Meghan; Aboud, Roger; Moyles, Carey (2000). "The Relationship Between Gender Social Identity and Support for Feminism". Sex Roles. 42 (11/12): 1081–89. डीओआइ:10.1023/A:1007044802798.
12. ↑ Renzetti, Claire M. (1987). "New wave or second stage? Attitudes of college women toward feminism". Sex Roles. 16 (5–6): 265–77. डीओआइ:10.1007/BF00289954.
13. ↑ Lingard, Bob; Douglas, Peter (1999). Men Engaging Feminisms: Pro-Feminism, Backlashes and Schooling. Buckingham, England: Open University Press. पृ॰ 192. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-335-19818-4.
14. ↑ Kimmel, Michael S.; Mosmiller, Thomas E. (1992). Against the Tide: Pro-Feminist Men in the United States, 1776–1990: A Documentary History. Boston: Beacon Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8070-6767-3.
15. Lupri, Eugene; Grandin, Elaine (2004). "Intimate partner abuse against men" (PDF). National Clearinghouse on Family Violence. पृ॰ 6. मूल (PDF) से 4 जनवरी 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि June 21, 2014.

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 7, July 2018

16. ↑ Migliaccio, Todd A. (Winter 2001). "Marginalizing the Battered Male". The Journal of Men's Studies. 9 (2): 1–18. डीओआइ:10.3149/jms.0902.205. अभिगमन तिथि June 20, 2014. (सब्सक्रिप्शन आवश्यक)
17. "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill". द हिन्दू. मूल से 25 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
18. ↑ [hindu.com/2010/03/10/stories/2010031050880100.htm "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill"] जाँचें `|url=` मान (मदद). द हिन्दू. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
19. ↑ Jayapalan (2001). Indian society and social institutions. Atlantic Publishers & Distri. पृ॰ 145. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9788171569250. मूल से 27 सितंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
20. ↑ "Women in History". National Resource Center for Women. मूल से 19 जून 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
21. ↑ आदर्श पत्नी: त्रियम्बकयाज्वन द्वारा स्त्रीधर्मपद्धति (महिलाओं के कर्त्तव्यों में सहायक) (अनुवादक जूलिया लेसली), पेंग्विन 1995 आईएसबीएन 0-14-043598-0.
22. ↑ see extensive excerpts from strIdharmapaddhati at http://www.cse.iitk.ac.in/~amit/books/tryambakayajvan-1989-perfect-wife-stridharmapaddhati.html
23. ↑ Mishra, R. C. (2006). Towards Gender Equality. Authorspress. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7273-306-2. मूल से 29 अक्तूबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
24. ↑ Pruthi, Raj Kumar; Rameshwari Devi and Romila Pruthi (2001). Status and Position of Women: In Ancient, Medieval and Modern India. Vedam books. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7594-078-6. मूल से 14 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
25. ↑ कात्यायन द्वारा वर्त्तिका, 125, 2477
26. ↑ पतंजलि द्वारा अष्टध्यायी के लिए टिप्पणियां 3.3.21 और 4.1.14